सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 16.11.2023

इटावा पुलिस द्वारा तांबे का तार चोरी करने वाले 02 चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ तांबे का तार बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में *थाना सिविल लाइन* पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी आमीन पुत्र शहाबुद्दीन द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 14.11.2023 की रात्रि को मैनपुरी फाटक स्थित उसकी कबाडी की दुकान से 02 युवकों द्वारा लगभग 12 किलो तांबे का तार चोरी कर लिया गया है। सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 260/23 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 15.11.2023 की रात्रि को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जिला अस्पताल के पास संदिग्ध व्यक्ति वाहन/ चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा 02 युवकों को पुलिस टीम द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज तिराहे के पास से समय 04.28 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा आमीन कबाडी की दुकान से उक्त तांबे का तार चोरी करना स्वीकार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 260/2023 धारा 380/457 भादवि में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गोरे पुत्र इकबाल निवासी कांशीराम कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा उम्र 19 वर्ष।
2. आशिफ उर्फ अल्ला उर्फ अलाउद्दीन पुत्र बबलू निवासी कांशीराम कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा उम्र 18 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 260/2023 धारा 380/457/411 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. **12 किलोग्राम तांबे के तार (चोरी किया गया)।**

पुलिस टीम- - निरीक्षक श्री यशवंत सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन इटावा, उ0नि0 अरिमर्दन सिंह, का0 नरेश बाबू, का0 कमरूद्दीन।